रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

बनाम

शालू शर्मा व अन्य

02 फरवरी, 2018

[मुख्य न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्तिगण ए0 एम0 खानविलकर और डॉ0 डी0 वाई0 चंद्रचूड़]

मोटर दुर्घटना अधिनियम, 1988 – मुआवजा – का अधिनिर्णय – मोटर दुर्घटना में 42 वर्ष की आयु के स्व–नियोजित (व्यवसायी) की मृत्यु –30% की सीमा तक भविष्य की संभाव्यता का अधिनिर्णय – उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में, बीमाकर्ता–अपीलकर्ता की दलील है कि मृतक की सकल कुल आय में वृद्धि, जैसा कि आयकर रिटर्न में दिखाया गया है, भविष्य की संभाव्यताओं को देने का औचित्य नहीं होगा – उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि मृतक की आय में उत्तरोत्तर वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, अधिकरण द्वारा भविष्य की संभाव्यताओं के अधिनिर्णय को गलत नहीं ठहराया जा सकता है – अपील पर, निर्णय: भविष्य की संभाव्यताओं से इनकार नहीं किया जा सकता है यदि मृतक स्व–नियोजित था – दुर्घटना के समय मृतक की आयु 42 वर्ष थी, इसलिए भविष्य की सं संभाव्यताओं के आधार पर अधिकरण द्वारा गणना की गई 30% के बजाय 25% की वृद्धि की आवश्यकता होगी।

अपीलकर्ता द्वारा बीमा किए गए उल्लंघन वाहन के चालक की लापरवाही के कारण हुई दुर्घटना में 42 वर्षीय एक स्व–नियोजित (व्यवसायी) की मृत्यु हो गई। अधिकरण ने मुआवजे का आकलन करने में भविष्य की संभाव्यताओं के नुकसान के लिए 30 प्रतिशत का अधिनिर्णय दिया और 30,26,810 रुपये का मुआवजा दिया। अपील में, बीमाकर्ता–अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि आयकर रिटर्न में दिखाए गए मृतक की सकल कुल आय में वृद्धि भविष्य की संभाव्यताओं को देने को उचित नहीं ठहराएगी। उच्च न्यायालय ने माना कि मृतक की आय में उत्तरोत्तर वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, अधिकरण द्वारा भविष्य की संभाव्यताओं के अधिनिर्णय को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। इसलिए, यह अपील।

अपील का निपटारा करते हुए अदालत का

निर्णय: चूंकि मृतक की आयु 42 वर्ष थी, इसलिए अधिकरण द्वारा गणना की गई 30% के बजाय भविष्य की संभाव्यताओं के आधार पर 25% की वृद्धि की आवश्यकता होगी। न्यायाधिकरण ने कहा कि मृतक की वार्षिक आय (2010–11, 2011–12 और 2012–13 के आयकर रिटर्न के आधार पर) 1,81,500 रुपये होगी। भविष्य की संभाव्यताओं के लिए 25% के घटक को जोड़ने पर, आय 2,26,875 रुपये होगी। व्यक्तिगत खर्चों के लिए एक चौथाई की राशि को काटने पर, प्रति वर्ष निर्भरता का नुकसान 1,70,156 रुपये बैठता है। 14 के गुणक को लागू करने पर, निर्भरता का कुल नुकसान 23,82,187 रुपये होगा। न्यायाधिकरण ने चिकित्सा खर्च के लिए 3,14,335 रुपये की राशि का आदेश दिया। *प्रणय सेठी मामले* में संपत्ति के नुकसान (15,000 रुपये), दाम्पत्य वंचन (40,000 रुपये) और अंतिम संस्कार के खर्च (15,000 रुपये) के कारण फैसले के संदर्भ में 70,000 रुपये अतिरिक्त करने की आवश्यकता होगी। इसलिए, कुल मुआवजे की मात्रा 27,66,522

रुपये है, जिस पर दावेदार दावा याचिका दायर करने की तारीख से @ 9% प्रति वर्ष ब्याज के हकदार होंगे। विभाजन न्यायाधिकरण के अधिनिर्णय के अनुसार किया जाएगा। [पैरा 4– 5] [405–जी–एच; 406–ए–बी]

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी (2017) 13 स्केल 12 – पर **भरोसा किया।**

संदर्भित न्याय विधि

(2017) 13 SCALE 12 पर भरोसा किया पैरा 4, 5

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 767 वर्ष 2018.

एम्.ए.सी. अपील संख्या 343 वर्ष 2016 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 24.05.2016 के निर्णय और आदेश से .

अपीलकर्ता की ओर से सुश्री प्रेरणा मेहता, वकील।

प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता सैयद मेहदी इमाम, भोपाल सिंह, तबरेज अहमद, जावेद मुजफ्फर, डीके शर्मा।

न्यायालय का निर्णय पारित किया गया, द्वारा–

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति 1. वर्तमान अपील मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एम.ए.सी.टी.) के एक अधिनिर्णय के खिलाफ अपील में दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के फैसले से उत्पन्न होती है।

2. 14 सितंबर 2013 को हुई एक दुर्घटना में नरिंदर शर्मा की मृत्यु हो गई। दुर्घटना में एक मोटर वाहन शामिल था जिसे अपीलकर्ता द्वारा तीसरे पक्ष के जोखिमों के खिलाफ बीमा किया गया था। आश्रितों ने एम.ए.सी.टी. के समक्ष मुआवजे के लिए दावा दायर किया। अधिकरण ने माना कि दुर्घटना उल्लंघन करने वाले वाहन के चालक की लापरवाही के कारण हुई थी। 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ 30,26,810 रुपये का मुआवजा दिया गया। अधिकरण ने मुआवजे का आकलन करने में भविष्य की संभाव्यताओं के नुकसान के लिए 30 प्रतिशत के एक घटक को शामिल किया।

3. उच्च न्यायालय ने कहा है कि बीमाकर्ता द्वारा उठाया गया एकमात्र मुद्दा 30 प्रतिशत की सीमा तक भविष्य की संभाव्यताओं को देने के संबंध में था। मृतक पूर्वी पंजाबी बाग, नई दिल्ली में मैसर्स महक केबल नेटवर्क्स के नाम से अपना खुद का व्यवसाय कर रहा था। हादसे के वक्त उनकी उम्र 42 साल थी। अपीलकर्ता के अनुसार, 2010–11, 2011–12 और 2012–13 के आयकर रिटर्न में दर्शाई गई उनकी सकल कुल आय में वृद्धि भविष्य की संभाव्यताओं को सही नहीं ठहराएगी, या कम से कम उस हद तक। उच्च न्यायालय ने बीमाकर्ता की दलील को खारिज कर दिया और कहा कि मृतक की आय में उत्तरोत्तर वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, अधिकरण द्वारा भविष्य की संभाव्यताओं के अधिनिर्णय को गलत नहीं ठहराया जा सकता है।

4. *नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी* मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले ने इस मुद्दे का निपटारा किया। मृतक स्वरोजगार में लगा हुआ था। ऐसे में भविष्य की संभाव्यताओं से इनकार नहीं किया जा सकता। अनुदान निर्णय में निर्धारित निम्नलिखित सिद्धांत के अनुसार होना चाहिए:

"(iv) यदि मृतक स्व–नियोजित था या एक निश्चित वेतन पर था, तो स्थापित आय का 40% जोड़ा जाना चाहिए जहां मृतक 40 वर्ष से कम आयु का था। 25% जहां मृतक 40 से 50 वर्ष की आयु के बीच था और 10% जहां मृतक 50 से 60 वर्ष की आयु के बीच था, को गणना की आवश्यक विधि के रूप में माना जाना चाहिए। स्थापित आय का मतलब है कर घटक को छोड़कर आय। चूंकि मृतक की आयु 42 वर्ष थी, इसलिए अधिकरण द्वारा गणना की गई 30% के बजाय भविष्य की संभाव्यताओं के आधार पर 25% की वृद्धि की आवश्यकता होगी।

5. अधिकरण ने निर्णय दिया है कि मृतक की वार्षिक आय (2010–11, 2011–12 और 2012–13 के आयकर रिटर्न के आधार पर) 1,81,500 रुपये होगी। भविष्य की संभाव्यताओं के लिए 25% के घटक को जोड़ने पर, आय 2,26,875 रुपये होगी। व्यक्तिगत खर्चों के लिए एक चौथाई राशि की कटौती करने पर, प्रति वर्ष निर्भरता का नुकसान 1,70,156 रुपये बैठता है। 14 के गुणक को लागू करने पर, निर्भरता का कुल नुकसान 23,82,187 रुपये होगा। अधिकरण ने चिकित्सा व्यय के लिए 3,14,335 रुपये की राशि का आदेश दिया है। *प्रणय सेठी (सुप्रा) के फैसले* के संदर्भ में संपत्ति के नुकसान (15,000 रुपये), दाम्पत्य वंचन (40,000 रुपये) और अंतिम संस्कार के खर्च (15,000 रुपये) के कारण 70,000 रुपये अतिरिक्त देने की आवश्यकता होगी। इसलिए, कुल मुआवजे की मात्रा 27,66,522 रुपये है, जिस पर दावेदार दावा याचिका दायर करने की तारीख से @ 9% प्रति वर्ष ब्याज के हकदार होंगे। विभाजन न्यायाधिकरण के निर्णय के अनुसार किया जाएगा। हम तदनुसार आदेश देते हैं।

6. जब इस न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका पर विचार किया गया, तो 12 अगस्त 2016 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:

सूचना जारी किया जाय.

चूंकि इस विशेष अनुमति याचिका में आपत्ति मुख्य रूप से संभावित कमाई क्षमता के रूप में मृतक की आय में 30% की वृद्धि करने के बारे में है, इसलिए याचिकाकर्ता को छह सप्ताह के भीतर अधिकरण के समक्ष अर्जित ब्याज के साथ दी गई राशि का 75% जमा करना होगा। यदि इस तरह की जमा निर्धारित समय के भीतर की जाती है, तो याचिकाकर्ता के खिलाफ निष्पादन कार्यवाही पर रोक लगा दी जाएगी। इस तरह से जमा की गई राशि प्रतिवादी को तुरंत जारी की जाएगी।''

अपीलकर्ता को अधिकरण के समक्ष आठ सप्ताह की अवधि के भीतर वर्तमान निर्णय के संदर्भ में गणना की गई शेष राशि जमा करनी होगी, जिसे उचित सत्यापन पर दावेदारों को वितरित किया जाएगा। यदि इस न्यायालय के 12 अगस्त 2016 के आदेश के संदर्भ में दावेदारों द्वारा निकाली गई राशि उस राशि से अधिक है जिसके वे वर्तमान निर्णय के तहत हकदार हैं, तो कोई वसूली नहीं की जाएगी। तदनुसार अपील का निपटान किया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

निधि जैन अपील का निपटारा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated and verified by me.

Satyendra Yadav
Advocate
Advocate on Roll : **A/S**0567/2023
Contact No. : 8896551733